कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-धमतरी

Email – landrecorddhamtari25@gmail.com

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्रमांक/ 375 /भू–अभि./रा.नि.व.लो./2021 धमतरी, दिनांक 30/12/2021

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) द्वारा धमतरी जिला में धमतरी, नगरी एवं मगरलोड तहसील के अंतर्गत मुख्यमार्ग के समानांतर 4 जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान करने के लिए आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाले राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान करने बाबत् दिनांक 19.08.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदित राजस्व वनभूमि छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ का जंगल का मार्गवार विवरण निम्नानुसार है:–

राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ एवं बडे झाड़ का जंगल) का मार्गवार विवरण

स.क	मार्ग	जिला का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (हे0में)
1	2	3	4	5	6	7
1	धमतरी–अंजोरा	धमतरी	धमतरी	अछोटा	489	0.018
2				भोयना	13	0.017
3			नगरी	कुकरेल	612	0.004
4				बनरौद	262	0.002
5					311	0.015
6	अंजोरा–नगरी		नगरी	कल्लेमेटा	9	0.006
7				मूलगांव	417	0.008
8				कल्लेमेटा	356	0.004
9				बिलभदर	460	0.007
10				नगरी	62	0.002
11	डोमपदर–मानपुर		नगरी	भितररास	1163/3	0.002
12					1163/1	0.003
13					1005	0.001
14				छिपलीपारा	264/1	0.011
15				देवपुर	214	0.009
16					212	0.001
17				सांकरा	3013	0.002
18					3011	0.014
19	खाड़ादाह–माड़मसिल्ली		नगरी	माड़मसिल्ली (सिचाई ग्राम)	77	0.005
20	गोबरानवापारा–पाण्डुका		मगरलोड	राकाडीह	22	0.011
21					30	0.014
22					43/1	0.015
23					54	0.006
कुल व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि						**0.177**

चूंकि प्रस्तावित भूमि, राजस्व वन के मद पर दर्ज है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर, वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में संबंधित विभाग प्रमुख से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के सम्पादन में उल्लेखित ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नही की जाती हो तो निम्न शर्तो पर इस विभाग को विषयांकित ग्रामों के आवेदित खसरा नंबरो की भूमिपर मुख्य मार्ग के समानांतर आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

कमशः2

Scanned with CamScanner

नियम एवं शर्तेः—

01. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उल्लेखित कुल 15 ग्रामों की राजस्व वनभूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य हेतु की जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
02. आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु अन्य संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
03. आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने से किसी कृषकों/शासन की परिसम्पत्ति की क्षति होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संदर्भित फर्म/संस्था की होगी।
04. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नही किया जा रहा है।
05. आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
06. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ.ग. शासन राजस्व विभाग को देय होगा।

कलेक्टर,
जिला धमतरी

पृ.क्रमांक/376/भू—अभि./रा.नि.व.लो./2021 — धमतरी, दिनांक 30/12/2021

प्रतिलिपि :—

01. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
02. आयुक्त भू—अभिलेख छ.ग. शासन इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक—02 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. वनमंडल अधिकारी वनमंडल धमतरी, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
05. अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) धमतरी/कुरूद/नगरी को सूचनार्थ प्रेषित।
06. सर्व तहसीलदार धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी/भखारा/कुकरेल जिला धमतरी को सूचनार्थ।
07. कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला धमतरी छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. सर्व श्री/श्रीमती सरपंच ग्राम पंचायत.. को सूचनार्थ प्रेषित।
09. श्री अमन कुमार सिंह, प्रधान राज्य समन्वयक अधिकारी, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला धमतरी

Scanned with CamScanner